संख्या-70/सीपी 432/84-2-2014-सीपी 49/97

प्रेषक,

बी0 एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0
सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 21 नवम्बर, 2014

विषय वेतन समिति, 2008 के नवम् प्रतिवेदन (भाग-1) में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सीपी 153/29-8-2006-सीपी 49/97, दिनांक 28 मार्च, 2006 एवं अपने पत्र संख्या 344/एस.सी.डी.आर.सी./अधि. 94/10, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-2056/दस-54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 08.09.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 के नवम् प्रतिवेदन (भाग-1) में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के आशुलिपिक संवर्ग में इस शासनादेश के साथ अनुलग्नक-1 में उल्लिखित विवरण को अनुलग्नक-2 के अनुसार पदनाम, वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन, पदों की संख्या एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24.12.2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4. सम्बन्धित सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन/समावेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से प्रभावी किया जायेगा ।

5. उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या- वे0आ0-2-981/दस-2014, दिनांक 18.11.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।

.....2.....

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-70/सीपी 432(1)/84-2-2014-सीपी 49/97, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
7. समस्त जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1/2, उ0प्र0 शासन।
10. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11. कार्मिक नियमावली सेल, उ0 प्र0 शासन।
12. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-70/सीपी 432/84-2-2014-सीपी 49/97 दिनांक 21.11.2014 का संलग्नक

अनुलग्नक-1

(दिनांक 08.09.2010 तक सृजित पदों की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
01	02	03	04	05
01	आशुलिपिक ग्रेड-2	रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	44	सीधी भर्ती द्वारा
02	आशुलिपिक ग्रेड-1	रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	23	पदोन्नति द्वारा
03	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	12	पदोन्नति द्वारा
04	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600	04	पदोन्नति द्वारा
		कुल पदों की संख्या	83	

....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुलग्नक-2

क्र सं.	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		पदों की संख्या	नियुक्ति/पदोन्नति का स्रोत
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1	आशुलिपिक	रू0 5200-20,200	2800	42	सीधी भर्ती। सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान (डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना)
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	रू0 9300-34,800	4200	29	इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जाएगा।
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	रू0 9300-34,800	4600	12	इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जाएगा।
			योग-	83	

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in